



## **भ्रष्टाचार**

### **डॉ० राकेश गुप्ता**

एसो० प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष- समाजशास्त्र विभाग, नेशनल पी० जी० कालेज, भोगांव- मैनपुरी (उ०प्र०) भारत

आसेलर मित्तल के स्वामी लक्ष्मी मित्तल ने एक बार कहा कि यदि उन्हें भारत में स्टील प्लांट खरीदना होता तो उनकी आधी जिन्दगी नेताओं और बाबुओं के पीछे पीछे ही गुजर जाती। इसी प्रकार जुलाई 2008 में अमेरिका की एक प्रसिद्ध समाचार पत्र वारिंगटन पोस्ट में छपा था कि भारत के 540 संसद सदस्यों में से एक चौथाई पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इन अपराधों में मानव तस्करी, इमिग्रेशन रैकेट, बलात्कार, हत्या इत्यादि जैसे अपराध तक शामिल हैं। हाल की दो घटनाएं - मधु कोङा घोटाला और आईपीएल घोटाला भारत की भ्रष्टाचार की सही तस्वीर बयां करती हैं। झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री कोङा पर 4000 करोड़ों रुपए के हवाला कारोबार का आरोप है। वहीं आईपीएल घोटाला में यूपीए सरकार का हाई-फाई मंत्री शशि थर्लर को त्यागपत्र तक देना पड़ा। इससे सहज ही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि विकास के मार्ग में भ्रष्टाचार कितनी बड़ी रुकावट है। कितने ही लोग व्यवस्था की भ्रष्ट सीढ़ियों से फिसल कर नीचे आ गिरे होंगे, अन्दाजा लगाना मुश्किल है। भ्रष्टाचार के कैंसर ने अपने जीवन का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा है। हाल ही में हॉकी की दिशा बिगड़ने वाला ऑपरेशन सामने आ चुका है। महिला हॉकी के कोच का सेक्स स्कैंडल में पकड़े जाना बेशर्मी नहीं तो क्या है। डॉ० अमित किंडनी के कारोबार में करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर चुके हैं। राजनीति की चादर पर कल्प, अपहरण, सेक्स स्कैंडल, नशाखोरी आदि के न जाने कितने घब्बे लग चुके हैं।

शिक्षा, व्यापार और न्याय तक का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। सन 2001 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस० भरुचा पहले ही कह चुके हैं कि बीस प्रतिशत न्याय से जुड़े लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। इसी संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक 100 करोड़ों रुपए में मात्र 15 करोड़ रुपये ही मूल परियोजना में खर्च हो रहे हैं। शेष राशि बीच के सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग खा जाते हैं। सीएमएस और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अध्ययन में वर्ष 2005 में ग्यारह विभागों के साथ संबंधों को लेकर लोगों के अनुभव एकत्रित किए गए। बासठ प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें रिश्वत देकर वह खास सर्विस या सुविधा लेनी पड़ी। अध्ययन बताता है कि छोटी-छोटी रकम के तौर पर जो रिश्वत दी जाती है, उसकी राशि हर साल 21068 करोड़ हो जाती है। तीन चौथाई लोग महसूस करते हैं कि भ्रष्टाचार दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। हालात तो यह है कि भारत में यह माना जाने लगा कि अगर आप भ्रष्ट नहीं हैं तो आपको पागल समझा जाएगा। दो दशक पहले जब भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले गए थे, तो माना गया था कि लाइसेंस और परमिट राज का अंत होने से भारत सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में उभरेगा, लेकिन विदेशी पैसे की आमद ने अनुमति का पिटारा खोल दिया। नेता और नौकरशाह पैसा बनाने के लिए आर्थिक नीतियों को मरोड़ने लगे। कुछ भारतीय कारोबारियों ने टैक्स बचाने के रास्ते खोले। देश का रेगुलेटरी खाका लगातार मजबूत होता रहा, लेकिन चालबाजों ने नए रास्ते खोज निकाले। सत्यम में 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला अपने तरह का इकलौता मामला है। कैपीएमजे के फ्रॉ सर्वे 2010 के मुताबिक, भारत में हर चार में से तीन कम्पनियों का मानना है कि देश में फर्जीवाड़े के मामले बढ़ रहे हैं।

भ्रष्टाचार के पूरे राष्ट्र को अपने आगोश में ले लिया है। वास्तव में भ्रष्टाचार के लिए आज सारा तंत्र जिम्मेदार है। एक आम आदमी भी किसी शासकीय कार्यालय में अपना कार्य शीघ्र करवाने के लिए सामने वाले को बन्द लिफाफा सहज में थामने को तैयार है। 100 में से 80 आदमी आज इसी तरह कार्य करवाने के फिराक में हैं और जब एक बार किसी को अवैधानिक ढंग से ऐसी रकम मिलने लग जाए तो निश्चित ही उसकी तृष्णा और बढ़ेगी और उसी का परिणाम आज सारा भारत देख रहा है।

भ्रष्टाचार में सिर्फ शासकीय कार्यालयों में लेने देने वाले खुद को ही शामिल नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके अंदर वह सारा आचरण शामिल होता है, जो एक सभ्य समाज के सिर को नीचा करने में मजबूर कर देता है। भ्रष्टाचार के इस तंत्र में आज सर्वाधिक प्रभाव राजनेताओं का ही दिखाई देता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो तब देखने को मिला, जब नागरिकों द्वारा चुने गए सांसदों के द्वारा संसद भवन में प्रश्न तक पूछने के लिए पैसे लेने का प्रमाण कुछ टीवी चैनलों द्वारा प्रदर्शित



किया गया। कभी कफन घोटाला, कभी चारा / मूसा घोटाला, कभी दवा घोटाला, कभी ताबूत घोटाला, तो कभी खाद घोटाला। आखिर यह सब क्या इंगित करता है। यह सारे भ्रष्टाचार के एक उदाहरण मात्र है। हद तो तब हो गई जब झारखंड के मुख्यमंत्री के घर से नोट गिनने के दो-दो मशीन तक मिले। भ्रष्टाचार का खामियाजा सबसे अधिक गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ता है। गरीबी उन्मूलन की योजनाओं का इससे बंटाधार हो जाता है, कानून एवं न्याय का राज खतरे में पड़ जाता है। नागरिक जिम्मेदारियों और मर्यादित आचरण के आदर्शों की जगह संकीर्ण स्वार्थों पर आधारित दृष्टिकोण हावी हो जाते हैं। आदर्शवादी युवा पीढ़ी के लिए यह जहर का काम करता है। इस संदर्भ में बीपीएल परिवारों और ग्यारह वैसिक सर्विसेज के अध्ययन पर आधारित सीएमएस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की 2007 की रिपोर्ट विचलित करने वाली है। यह रिपोर्ट बताती है कि कल्याण योजनाओं से लाभान्वित होने वाले एक तिहाई बीपीएल परिवारों को कानून सम्मत सेवाएं हासिल करने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। लगभग सभी राज्यों में एक अन्य विभाग की अपेक्षा पुलिस तंत्र सर्वाधिक भ्रष्ट है। यह अत्यंत निंदनीय रिप्टिव्हिट है और इसका प्रभाव सामाजिक आधार को ही खोखला कर रहा है। भ्रष्टाचार का सबसे दुखद पहलू तो यह है कि एक तरफ वर्षों से इसका अध्ययन हो रहा है लेकिन दूसरी ओर यह मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। कुशासन कि हम जितनी आलोचना करते हैं, शासन में बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार को उतने ही उत्साह से गले लगाते हैं। कानून का शासन कायम करना मुश्किल हो गया है, इसलिए स्ट्रिंग ऑपरेशन भी बेअसर साबित हो रहे हैं। 'कैश फार वोट' प्रकरण की अपी भी जांच चल रही है मगर झामुमो रिश्वत कांड में शामिल सांसद विशेषाधिकारियों की आड़ में भ्रष्टाचार के आरोपों से सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुक्त किए जा चुके हैं। सांसदों को विशेषाधिकार प्रदान करने वाले कानूनों में संशोधन क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि किसी भी पार्टी का सांसद धन प्राप्ति के ख्रोतों की बारीकी से जांच का सामना करना नहीं चाहता है और ऐसे ज्यादातर ख्रोत संदेहास्पद होते हैं, जिन्हें सांसदों का संरक्षण प्राप्त होता है। मुख्य निगरानी आयुक्त सरकारी अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को लगातार प्रकाश में लाते रहे हैं। कुछ छोटे अधिकारियों के खिलाफ कभी—कभार कार्यवाही भी हो जाती है। मगर अधिकांश मामलों में बड़े अधिकारियों पर हाथ नहीं डाला जाता। संयुक्त सचिव और बड़े पदों पर आसीन अधिकारियों या मंत्री के खिलाफ कार्यवाही के लिए उनके ऊपर बैठे मंत्रियों या अधिकारियों की पूर्वानुमति आवश्यक है। अपने अधीनस्थों के खिलाफ उच्चाधिकारियों की पूर्वानुमति मिल जाए, ऐसा दुर्लभ ही होता है। हाल की एक मीडिया रिपोर्ट तो बताती है कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहे किसी अधिकारी के खिलाफ रिटायरमेंट के दस वर्षों बाद तक कार्यवाही करने के लिए उच्च अधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक बनाने के बारे में सरकार विचार कर रही है। तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन आयोजित किया था। सम्मेलन के अंतिम दिन भारत इसमें शामिल हुआ। सम्मेलन में यह जरूरत बताई कि भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों को राष्ट्रीय कानूनों का दर्जा मिलना चाहिए। इस सिफारिश पर भारत ने भी मुहर लगाई। सम्मेलन के कई महीने बाद भी भारत सरकार ने इस दिशा में कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है। नतीजतन भारत भ्रष्टाचार के संदिग्ध आरोपियों के प्रत्यर्पण की माँग नहीं कर सकता, विदेशों में गुप्त रूप से जमा निजी या सार्वजनिक धन को जप्त करने या काले धन को सफेद करने के ख्रोतों की जांच करने की माँग नहीं कर सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर एवं प्रमाणी कार्यवाही करने में किसी की दिलचस्पी दिखाई नहीं देती।

भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अनगिनत आयोग द्वारा समितियाँ गठित की जा चुकी हैं, मगर केन्द्र और अधिकांश राज्य सरकारों ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए कोई पहल नहीं की। एक निश्चित समय सीमा के भीतर पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश जारी किए मगर इससे भी बात नहीं बनी। केन्द्र सरकार का कहना है कि वह सुधार के पक्ष में है, मगर इस मामले में गृह मंत्रालय का नजरिया बिल्कुल अलग है। गृह मंत्रालय का तर्क है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियाँ, राज्य सरकारों के अधीन हैं और इन मामलों में गृह मंत्रालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस तर्क में कोई दम नहीं है, क्योंकि केन्द्र ने भी अब तक पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए दिल्ली और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोई प्रयास नहीं किया है। हालांकि इनका प्रभार केन्द्र के पास ही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों का राजनीतिकरण हो चुका है, राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया तेज है। अपराधों के राजनीतिकरण की प्रक्रिया में भी तेजी आई है। फौजदारी कानून व्यवस्था स्थान छिन्न-मिन्न हो चुकी है। परिणामस्वरूप न्यायालय की बजाय अन्य ख्रोतों से न्याय प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। सीबीआई और अन्य खुफिया एजेंसियाँ भी राजनीतिक दखलदाजी की शिकार हैं। इसी कारण आतंकवाद का सामना सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार केवल नैतिकता का प्रश्न भर नहीं है, बल्कि यह भारत जैसे गरीब किन्तु विकासशील देश की आर्थिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। बहुत सारे अर्थशास्त्री मानते हैं कि भ्रष्टाचार की में हमारे राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी हैं। अधिकांश बड़ी-बड़ी परियोजनाएं इन्हीं लोगों के दिमाग की उपज होती हैं। जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के नाम पर बनने वाली परियोजनाओं में जबरदस्त भ्रष्टाचार होता है। नकली दवाएं, विद्यालयों की जर्जर



इमारतें अयोग्य अध्यापक और स्तर ही ने भोजन व्यवस्था देकर आखिर किस तरह गरीबों का इस देश का भला किया जा सकता है। शायद इसीलिए प्रख्यात अर्थशास्त्री विमल जालान का यह कहना उपयुक्त है कि भ्रष्टाचार पहले से ही गैर बराबरी वाले समाज में असमानता को बढ़ाता है।

**भ्रष्टाचार के नियंत्रण हेतु बने विधान** – भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 171(ख) में रिश्वत को परिभाषित किया गया है। उसके आधार पर यदि कोई किसी व्यक्ति को पारितोषिक देता है या कोई अन्य व्यक्ति निवाचन अधिकारी को प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है या इनाम देता है तो वह व्यक्ति दंडनीय होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अनुसार कोई व्यक्ति छल करता है और बैईमानी से संपत्ति परिदक्ष करने के लिए उत्प्रेरित करता है। मूल्यवान प्रतिभूत की पूर्णतः या अंशतः रचना करता है तो वह व्यक्ति दंडनीय होगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, सितंबर 1988 में लागू हुआ। इसमें 1947 से भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधान समाहित थे और आईपीसी की कुछ धाराएं अपराध संहिता और 1952 का अपराध कानून अधिनियम के प्रावधान भी समाविष्ट हैं। अपराध कानून अधिनियम में लोकसेवकों से संबंधित अपराध संज्ञेय नहीं हैं लेकिन 1947 के अधिनियम ने अपराधियों के विरुद्ध अपराध को कुछ मान्यताएं बनाना न्यायालय के लिए आवश्यक हो गया। इस अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य प्रस्तुत करने का बोझ आरोपी पर आ गया। आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य उप पुलिस अधीक्षक के नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती। 1947 के अधिनियम ने रिश्वत लेना धन का दुरुपयोग करना, आर्थिक लाभ उठाना, आय से अधिक संपत्ति जमा करना तथा आधिकारिक पद का दुरुपयोग करना आदि भ्रष्टाचार के कार्य व अपराध घोषित किए गए हैं, परन्तु मुकदमा चलाने का अधिकार केंद्रीय जांच व्यूरो को न देकर केवल विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। 'लोकसेवक' शब्द का क्षेत्र 1988 के अधिनियम में व्यापक कर इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों को शामिल किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्र शासित राज्यों के कर्मचारियों के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, केंद्रीय व राज्यों से सहायता प्राप्त सहकारी समितियों के पदाधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारी, उपकुलपति केंद्रीय व राज्य सरकारों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं में वैज्ञानिक और प्रोफेसर तथा स्थानीय प्रशासन से संबंधित संस्थाओं के कर्मचारी, सभी को 'लोकसेवक' घोषित कर दिया गया। यद्यपि संसद सदस्य तथा विधायिका के सदस्य सार्वजनिक कार्य करते हैं, तथापि उन्हें इस अधिनियम की परिधि से अलग रखा गया है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में सभी नागरिकों पर लागू होता है (जमू कश्मीर को छोड़कर) भले ही वे देश में रहते हों या नहीं, यदि लोकसेवक के विरुद्ध न्यायालय में अपराध सिद्ध हो जाता है तो इसमें कम-से-कम छह माह का कारावास का दंड है, लेकिन यह 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। इस प्रकार 6 माह का कारावास तो आवश्यक है ही और न्यायालय का विवेक इस संबंध में मान्य नहीं है। यदि लोकसेवक दूषित पाया जाता है तो उसको 2 वर्ष से कम की सजा नहीं होती, लेकिन 7 वर्ष से अधिक का कारावास और आर्थिक दंड नहीं हो सकता।

**भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय** – देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अनेक आयोग बने। श्री के० संथानम की अध्यक्षता में एक भ्रष्टाचार निरोधक समिति का गठन 1960 में किया गया था। इस समिति ने निम्नलिखित उपाय सुझाए थे –

- सतर्कता अधिकारियों को भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने की स्वतंत्रता देना, न कि भ्रष्ट प्रथाओं की जांच करने की।
- सतर्कता अधिकारियों को कुशल कार्य के लिए प्रो-न्नति का आश्वासन देना।
- उच्च अधिकारियों के मामलों की जांच पड़ताल के लिए सतर्कता अधिकारियों को उनके मूल कैडर में वापस भेजने से सुरक्षा का आश्वासन देना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय लोक सेवाओं और तकनीकी सेवाओं को प्रतिनिधित्व देना।
- सतर्कता विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को विभाग के नियमों और कार्य प्रणाली के विषय में गहन प्रशिक्षण देना, क्योंकि सतर्कता के 80 प्रतिशत मामलों की छानबीन निम्न स्तर पर ही होती है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही केंद्र सरकारी और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित चार विभागों की स्थापना

#### **भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के अंतर्गत की –**

1. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में प्रशासनिक सतर्कता विभाग।
2. केंद्रीय जांच व्यूरो।
3. राष्ट्रीयकृत बैंकों/सार्वजनिक उपक्रमों/मंत्रालयों/विभागों की घरेलू सतर्कता इकाइयां।



#### 4. केंद्रीय सतर्कता आयोग।

राजनेताओं और सार्वजनिक कंपनियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा दो दर्जन से भी अधिक आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। इन समितियों में सर्वाधिक चर्चित बोहरा समिति है, जिसकी स्थापना जुलाई 1993 में भारत के भ्रष्टाचार के

अध्ययन के लिए की गई थी, जिसमें सरकारी कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, अपराधी गठजोड़ और माफिया संगठनों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाना था। समिति ने 5 अक्टूबर 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट 1 अगस्त 1995 को संसद के दोनों सदनों में रखी गई। इस रिपोर्ट में राजनीतिज्ञों और अपराधियों के बीच गठजोड़ पर विव्हंसक प्रहार किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि माफिया जाल एक समानांतर सरकार चला रही है, जिससे लोकतंत्र निर्धक हो गया है। समिति ने एक सार्वजनिक शक्तिशाली एजेंसी की स्थापना की सिफारिश की, जो सभी एजेंसियों से सूचना एकत्र करें तथा तुरंत निरोध कार्यवाही करें।

**सूचना का अधिकार –** सांसद द्वारा सूचना के अधिकार का विधेयक पास करने से आम जन का लोक दस्तावेजों तक बेहतर पहुंची हुई है। इस विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि नौकरशाही इस विधेयक को सरकार नागरिक इंटरफेयर में सुधार के एक औजार के रूप में देखें, जिसका परिणाम मैत्रीपूर्ण, ध्यान रखने वाले प्रभावी प्रशासन के रूप में हो। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों तक सूचना के प्रवाह में वृद्धि का लाभ, भ्रष्टाचार समाप्त करेगा और शासन की सभी प्रक्रियाओं के प्रति सामान्य जन की चिंताएं शामिल करेगा। इसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार से हैं

- गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुत्त सूचनाएं प्रदान की जाएंगी अन्य वर्गों से तर्कसंगत शुल्क लिया जाएगा।
- इसके दायरे में सरकार द्वारा धन पाने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं भी रहेंगी।
- सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम समय अवधि 30 दिन निर्धारित की गई है, लेकिन यदि सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से हो, तो यह सीमा 48 घंटे की होगी।
- बिना किसी तर्कसंगत कारण के सूचना उपलब्ध कराने में विलंब के लिए 250 रुपये तथा अधिकतम 25000 रुपये दंड का प्रावधान।

#### — केंद्र तथा राज्य स्तर पर सूचना आयोग का गठन।

#### सूचना न मिलने पर किसके पास अपील करें –

- पहली अपील जन सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी से करें।
- दूसरी अपील सूचना आयोग से।
- तीसरी अपील उच्च न्यायालय से।

**द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट –** प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का उपाय सुझाने के लिए अगस्त 2005 में एस० वीरपा मोइली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने फरवरी 2007 तक चार रिपोर्ट पेश कर दी। इसमें प्रशासनिक, न्यायिक, राजनीतिक सुधार तथा भ्रष्टाचार को रोकने संबंधी उपायों की चर्चा है। यह सुझाव निर्मांकित है –

1. राष्ट्रीय लोकायुक्त का गठन,
2. स्थानीय स्तर पर ऑब्ड-समैन का गठन,
3. राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन,
4. चुनावी खर्च का सरकारी प्रबंधन,
5. कठोर दल बदल कानून
6. जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन,
7. लोक सेवकों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की प्रक्रिया में सुधार।

#### भ्रष्टाचार दूर करने के सुझाव –

- भ्रष्टाचारी को त्वरित ढंग से दंड देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- भ्रष्टाचार में आरोपित व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों न हो उसे किसी दायित्व पर तब तक नहीं रखा जाना चाहिए, जब तक कि वह खुद को निर्दोष साबित न कर ले। त्वरित और कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।
- यदि ऊंचे पदों पर बैठे गलत तत्त्वों पर कार्रवाई हो तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे सकेंगे।
- भ्रष्टाचार समाप्त करने का एक तरीका यह भी है कि हम अपने चुनाव में खर्च होने वाले धन पर नियंत्रण करें।
- ऐसा तंत्र भी विकसित करना पड़ेगा जो धन के अतिगमन पर न केवल नजर रखें, वरन् जरूरत पड़ने पर तत्काल



कार्यवाई भी कर सके। इस संदर्भ में चुनाव आयोग को और शक्ति संपन्न किया जाना चाहिए।

- प्रत्येक प्रत्याशी के अनाधित और भ्रष्ट कार्यों को व्यापक रूप में प्रकाशित कर जनता को उससे अवगत कराना आवश्यक है।

- भ्रष्टाचार को दूर करने का एक बड़ा उपाय ई-गवर्नेंस के रूप में मिल गया है। ई-गवर्नेंस ने निर्णय के क्रियान्वयन को भी अत्यंत आसान कर दिया है। निर्णय प्रक्रिया में अधिकाधिक पारदर्शिता रखनी होगी और इस कार्य में यदि सॉटवेयर का इस्तेमाल सहज क्रियाशीलता के साथ प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रिया में किया जाता है तो इससे सरकारी कार्यों और निर्णयों में पर्याप्त सुरक्षा आएगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी समाप्त हो जायेंगी।

सरकारी कार्यों में गलती, लापरवाही और भ्रष्टाचार करने के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश के अधिकांश लोकायुक्त असफल हो चुके हैं, क्योंकि एक तो उन्हें सरकार के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है, दूसरे उनके कार्मिकों की गुणवत्ता भी बेहतर नहीं है। हाल ही में कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा त्यागपत्र देना इसी को सूचित करता है।

- केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन कर उसमें तेजतर्रा अफसरों की नियुक्ति की जानी चाहिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो को किसी केस के बारे में प्राथमिक तथ्यों का अन्वेषण बारीकी से करके उस पर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। देश के औद्योगिक जगत उद्यमी समूहों पर भी भ्रष्टाचार खत्म करने का दायित्व है।

- लोगों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सब्सिडी और सरकारी अनुदानों के बारे में उनके हक की पूरी जानकारी दी जाए।

- नीतियों और फाइलों में लिए गए विभिन्न निर्णयों को पारदर्शी बनाया जाए। हर आवेदकों को जानने का अधिकार होना चाहिए कि उनका आवेदन पत्र कहां रुका पड़ा है।

- विलंब ही भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत है। हर विभागीय अध्यक्ष या हर कार्यालय के प्रमुख को किसी आवेदन या फाइल पर निर्णय लेने के लिए समयावधि निर्धारित कर देनी चाहिए, जिससे कि किसी भी स्तर पर कार्यवाही में देरी न हो। अगर उसमें देरी होती है तो उसके लिए जो कारण हो, वह ऐसा हो, जिससे प्रमुख या अध्यक्ष संतुष्ट हो। फाइलों पर कार्यवाही में देरी इसलिए न की जाए, ताकि लाभार्थी उस पर कार्यवाही तेज करवाने के लिए रकम देने के लिए हाजिर हो।

- जिन भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी/अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है उनकी संपत्तियों को सील कर दिया जाना चाहिए और उनके दोषी सावित होने पर सरकार को उन संपत्तियों को जप्त कर लेना चाहिए।

- नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए। अनेक कानून ऐसे हैं जिन्हें जनसाधारण समझ नहीं पाते। अनावश्यक कानून खत्म कर दिए जाने चाहिए। कानून और नियम यथासंभव सरल होने चाहिए।

- देश ने पंचायतीराज और सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। इसलिए सत्ता का यथासंभव विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और पंचायतों को अधिकतम अधिकार दिए जाने चाहिए।

- लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है लेकिन उन्हें अपने नजदीकी अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अवहेलना करते हुए तबादलों और पदोन्नतियों जैसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

- राज्य एवं जिला स्तर पर प्रभ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण कारण अधिकारियों एवं नेताओं के बीच बढ़ रहा एक प्रकार का गठजोड़ है। नेताओं का अधिकारियों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के मामले में अनुचित हस्तक्षेप न हो सके, इसके लिए सभी राज्यों में उच्चाधिकारियों की एक नियुक्ति एवं स्थानांतरण बोर्ड बना दिया जाए, जो कार्य निष्पादन एवं आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण का सुझाव दें और इसके आधार पर ही स्थानांतरण किया जाए। इसके साथ सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों एक निश्चित कार्यकाल हो, जो तीन वर्ष की हो सकती है और उसके पहले स्थानांतरण के लिए स्पष्ट कारण का उल्लेख किया जाए ताकि यह अधिकारी कम दबाव में रहे एवं निश्चिन्ता से अपना कार्य कर सकें।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Combating Corruption in India, (1950-2012); Malik Surendra and Malik Sudeep.
2. Corruption and Government : Causes Consequences and Reform; Susan Rose- Ackerman.
3. Corruption in India : Chitra G.Iele
4. India's Fight Against Corruption : Mittal, J.P.
5. Civil Services Cronical, September, 2010.

\*\*\*\*\*